न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आरएएस

अपील संख्या 2009/00099 (22/2009) अन्तर्गत धारा 18 उपनिवेशन अधिनियम (भाखड़ा परियोजना में सरकारी भूम का आवंटन एवं विक्रय नियम 1955)

कुमारी पवन आयु 13 वर्ष पुत्री प्रेमलाल जाति बिश्नोई निवासी 25 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ नाबालिग जरिये वाद मित्र एवं वादार्थ संरक्षक मनोहर लाल आयु 35 वर्ष पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी गंगा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
–अपीलाण्ट

बनाम

1. मनफूल पुत्र श्रीराम जाति बिश्नोई निवासी 25 एम.ओ.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. रामकुमार } पिसरान सुरजाराम जाति बिश्नोई निवासी
3. पृथ्वीराज } 25 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. जगदीश } जाति बिश्नोई निवासी 25 एमओडी तहसील
5. कमला देवी पत्नी प्रेमलाल } पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.09.2008 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्रकरण संख्या 28/2006 बअनवानी सरकार बनाम रामकुमार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री कुलदीपसिह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री अशोक बेनीवाल एवं ओमप्रकाश गोदारा रेस्पो0

श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक:–02.05.2019

1. तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा चक 25 एमओडी के प. नं. 8/263 मु. नं. 24 के किला नं. 5, 6, 15, की 0.189 हैक्टेयर भूमि के स्मॉल पेच में आवंटन का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा ने चिपते काश्तकारों को नोटिस जारी किये। नोटिस जारी करने के उपरान्त दिनांक 15.09.2008 को बोली करवाकर उक्त रकबा स्मॉल पेच में रेस्पोडेण्ट सं. 1 मनफूल को आवंटित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि की चिपती काश्तकार थी। अपीलाण्ट को कोई सूचना नही दी गई। स्मॉल पेच में आवंटन योग्य भूमि के चिपते चारों और के काश्तकारों, चक के काश्तकारों तथा संलग्न चक 23 एमओडी के काश्तकारों को स्मॉल पेच में भूमि आवंटन संबंधी कोई नोटिस नहीं दिये गये। धारा 5 से 13 की पालना नहीं की गई। यदि समस्त काश्तकारों को सूचना दी जाती तो बोली अधिक मूल्य में छूटती। अधीनस्थ न्यायालय ने महज औपचारिकता करते हुए भूमि 24000/– रूपये से शुरू की और रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा 25200/– में रूपये होना दर्शाई गई है। अपीलाण्ट 50,000/– रूपये जमा करवाकर अपने पक्ष में आवंटन करवाने के लिए तैयार है। सार्वजनिक सूचना नहीं प्रकाशित करवाई गई, जिससे अपीलाण्टा प्रश्नगत भूमि को स्मॉल पेच में आवंटन करवाने के अपने अधिकारों से वंचित हो गई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि स्मॉल पेच में आवंटित रकबे के सभी चिपते काश्तकारों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार बार नोटिस दिया गया था लेकिन कोई भी आवंटन के लिए उपस्थित नही आया। अंत में अपीलाण्ट नाबालिग होने के कारण उस मॉ एवं परिवार के सदस्य उपस्थित आये थे जिसमें रेस्पोडेण्ट सं0 1 भी उपस्थित था। सभी ने निलामी में भाग भी लिया था। हमने अधिकतम बोली लगाई जिसके आधार पर हमें रकबा आवंटित हुआ है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार (भू. अ.) पीलीबंगा से 25 एमओडी के प. नं. 8/284 के किला नं. 5, 6, 15 की 0.176 है0 भूमि को स्मॉल पेच में आवंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने प्रस्तावित रकबे के चिपते काश्तकारों को जरिये नोटिस तलब किया। चिपते काश्तकारों के आने पर प्रश्नगत रकबा रेस्पोडेण्ट के पक्ष में अधिकतम बोली होने के कारण आवंटित किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि वह भी उक्त रकबे की चिपती काश्तकार है लेकिन उसे अधीनस्थ न्यायालय में उसे कोई नोटिस नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है स्मॉल पेच में भूमि आवंटित कराने के लिए बार बार चिपते काश्तकारों को नोटिस दिये गये हैं। दिनांक 11.09.2008 को अपीलाण्ट परिवार के सदस्य रामकुमार, पृथ्वीराज जगदीश पिसरान सुरजारमा कमला पत्नी प्रेमलाल व कपि पुत्र प्रेमलाल ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रकबा स्मॉल पेच में आवंटन करवाने का निवेदन किया है। इस प्रार्थना–पत्र में यह अंकित है कि "प्रेमलाल की पुत्री नाबालिग है जिसमें से स्व0 प्रेमलाल के वारिसान का 1/4 हिस्सा में आवंटन की पात्रता है इस संयुक्त परिवार की प्रथा अनुसार स्मॉलपेच में आवंटन चाहते हैं जो समस्त सदस्य स्व0 सुरजाराम के संयुक्त परिवार के सदस्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy – Not Official

प्रार्थीगण हैं।'' अपीलाटा की मॉ कमला के भी इस प्रार्थना–पत्र में हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार इस प्रार्थना–पत्र में अपीलाण्टा के नाबालिग होने के कारण उसकी तरफ से आवंटन हेतु चाराजाई उसकी माता द्वारा कर दी गई थी। रेस्पोडेण्ट मनफूल पुत्र श्रीराम भी उस वक्त बोली में उपस्थित आये थे। दोनों पक्षों के मध्य आवंटन हेतु रकबे की बोली लगाई गई थी। लेकिन अधिकतम बोली मनफूल पुत्र श्रीराम बिश्नोई जो कि अपील में रेस्पोडेण्ट सं0 1 के द्वारा लगाई जाने के कारण उसके पक्ष में छोड़ी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि निलामी के समक्ष अपीलाण्ट के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे हैं। अपीलाण्टा नाबालिग होने के कारण कारण माता ओर परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा निलामी प्रक्रिया में भाग लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2008 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2019 को लिखाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया।

02/5/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official